<u>पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ</u>

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 08 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

<u>दिनांक- 17.06.2024</u>

<u>दिनांक 16/17.06.2024 को थाना आलमबाग 01, अलीगंज 01, गोमतीनगर 01, मड़ियांव 02, पीजीआई 01, सैरपुर 01, सरोजनीनगर 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 08 अभियुक्त गिरफ्तार।</u>

<u>भा0द0वि0</u>

<u>थाना कैसरबाग</u>- दिनांक 17.06.2024 को थाना कैसरबाग द्वारा बताया गया कि वादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र राम आसरे निवासी ग्राम पोस्ट बांकी थाना बरुआ सुमेरपुर जिला हमीरपुर ने थाना कैसरबाग पर सूचना दिया कि वादी थाना कैसरबाग में स्थित होटल खालसा-इन में काम करता है तथा वर्तमान समय में वहीं पर निवास कर रहा हैं। दिनांक 07.06.2024 को समय लगभग 06 बजे शाम एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मो0नं0- 9565719056 से वादी को कॉल आया और कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह वादी के बड़े भाई की पुत्री गुड़िया का पति हैं और कहा वह वादी के खाते में 15 हजार रुपये भेज रहा हैं जो कि उसकी पत्नी गुड़िया को दे देना और उक्त व्यक्ति ने गूगल-पे द्वारा वादी के खाते में पहले 01 रुपया भेजा, जिसके बाद उक्त व्यक्ति ने वादी को एक लिंक भेजा और बोला आप इस पर क्लिक करिये, वादी द्वारा क्लिक करने पर वादी से गूगल-पे का पैसे ट्रांसफर वाला पासवर्ड डलवाया, जिसके बाद वादी के खाते से 15,000/- रुपये, 15,000/- रुपये, 10,000/- रुपये, 2,000/- रुपये कुल 42,000/- रुपये कट गये। जिसके पश्चात उस व्यक्ति द्वारा फोट काट दिया गया। कुछ समय बाद वादी के पास जब पैसे कटने के मैसेज आये तो वादी को पता चला कि वादी के साथ आनलाइन फ्रॉड हो गया है। **इस सूचना पर थाना कैसरबाग पर मु0अ0सं0- 092/2024 धारा- 66डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना रहीमाबाद</u>- दिनांक 17.06.2024 को थाना रहीमाबाद द्वारा बताया गया कि श्री समीर अवस्थी पुत्र भगवान दयाल निवासी ग्राम चन्दीखेडा मजरा दिलावर नगर थाना रहीमाबाद लखनऊ ने थाना रहीमाबाद पर सूचना दी कि आज दिनांक 17.06.2024 को उनके पुत्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। **इस सूचना पर उ0नि0 श्री उपेन्द्र यादव मो0नं0- 9125510074 द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक वैभव अवस्थी उम्र करीब 30 वर्ष निवासी चंदीखेड़ा मजरा दिलावर नगर थाना रहीमाबाद लखनऊ ने घर में कमरे का दरवाजा अंदर से बंदकर छत के पंखे में कपडे का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया । मृतक खेती-किसानी करता था एवं मृतक के 01 पुत्री है ।

<u>थाना पारा</u>- दिनांक 17.06.2024 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि वादी श्री विजय शर्मा पुत्र स्व0 मोहनलाल शर्मा म0का0 196 गोकुल ग्राम बीबीखेडा थाना पारा लखनऊ ने थाना पारा पर सूचना दिया कि वादी दिनांक 13/06/2024 को सपरिवार अपने गांव धूरा मऊ थाना हसनगंज जनपद उन्नाव गया था। आज दिनांक 17/06/2024 को जब वादी अपने उक्त आवास पर वापस आया तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ मिला वादी ने घर के अन्दर जा कर देखा तो कमरों का सामान अस्त-व्यस्त मिला एवं घर में रखा वादी की पत्नी की ज्वैलरी हार, अगूंठी, घर में रखी नगदी व एलसीडी टी.वी. एवं सीसीटीवी कैमरे का डीबीआर को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना पारा पर मु0अ0सं0- 317/2024 धारा- 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

<u>थाना गोसाईगंज</u>-दिनांक 17.06.2024 को थाना गोसांईगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री बंशीलाल पुत्र स्व0 परमेश्वर निवासी ग्राम लक्ष्मनपुरवा मजरा शेखसराय, कोतवाली बी.बी.डी. लखनऊ ने थाना गोसांईगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 12/06/2024 को दोपहर समय करीब 03.00 बजे वादी का पुत्र हरीश यादव आयु लगभग 29 वर्ष जो अपनी दो पहिया अपाचे गाडी से अपने मामा के घर जा रहा था कि रास्ते में सुल्तानपुर रोड़, ग्राम कबीरपुर, कोतवाली गोसाईगंज, लखनऊ पर अज्ञात वाहन के चालक अज्ञात द्वारा वाहन को लापरवाही पूर्वक चलाते हुए वादी के पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी जिससे कि वादी के पुत्र को गम्भीर चोटें आई जिसे स्थानीय लोगों द्वारा इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोसाईगंज, लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गयी। **इस सूचना पर थाना गोसांईगंज पर मु0अ0सं0- 227/2024 धारा- 279/304-ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**